संसद के समक्ष अभिभाषण – 18 फरवरी 1963

लोक सभा	-	तीसरी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. जाकिर हुसैन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	सरदार हुकम सिंह

माननीय सदस्यगण,

हमारे गणराज्य की तीसरी संसद के नये इजलास का कार्यभार उठाने के लिए मैं आप सब का स्वागत करता हूं।

हमारे गणराज्य की स्थापना के समय से ही हमारी संसद को कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा और भारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी हैं। संसद की रहनुमाई में हमने अपने संविधान में बताये गये उन मकसदों को पूरा करने का यत्न किया है, जो इस प्रकार हैं:–अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना विचार, इजहार, विश्वास, निष्ठा और पूजा की आज़ादी; दर्जे की बराबरी, और अवसर की समानता और सब में भाईचारे की भावना बढ़ाना और व्यक्ति की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करना। हमने अपनी सारी शक्ति ऐसे समाज की स्थापना में लगाई है जिसमें ये सारे मकसद कारगर ढंग से हासिल किये जा सकते हैं। अपनी परम्परा के मुताबिक हमने विश्व शांति के लिए परिश्रम किया है और सैनिक गठबंधनों से अलग रहते हुए सभी देशों के साथ मित्रता और सहयोग के संबंध कायम करने का यत्न किया है। हम यह सोचने का साहस करते हैं कि इस बारे में हम संसार की थोड़ी बहुत सेवा कर सके हैं।

अपने गणराज्य के निर्माण के बाद शीघ्र ही हमने अपनी लम्बी यात्रा शुरू की, जिससे कि हम लोकतंत्रीय और समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का अपना मकसद

हासिल कर सकें और इसके लिए हमने योजना बनाकर काम किया। दो पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और अब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में हैं। इस अर्से में हमने अपनी अर्थव्यवस्था के बहुत से क्षेत्रों में काफी तरक्की की है, जो हमें इस तरक्की से हमेशा संतोष नहीं हुआ।

खेती-बाड़ी हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे अहम पहलू है। इसका बहुत विकास हुआ है और खेती-बाड़ी की पैदावार में काफी वृद्धि हुई है। बड़े और छोटे, दोनों तरह के उद्योगों में और ग्राम उद्योगों में भी काफी तरक्की हुई है और धीरे-धीरे हमारी अर्थव्यवस्था का औद्योगिक आधार स्थापित होता जा रहा है। देश के लोगों की सेहत में सुधार हुआ है और 1940-50 के दौरान आम लोगों की जो औसत आयु 32 वर्ष हुआ करती थी वह 47 वर्ष तक पहुंच गई है और उसमें वृद्धि हो रही है। मलेरिया खत्म करने के कार्यक्रम के बहुत अच्छे नतीजे निकले हैं। अगरचे शिक्षा का स्तर ऊंचा करने और उसके स्वरूप को सुधारने की दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है तो भी इस का तेजी से विस्तार हुआ है। मार्च, 1962 के अंत तक हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पांच करोड़ से ऊपर लड़के और लड़कियां शिक्षा पा रही थीं। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा पर खासतौर से जोर दिया गया है और अब बहुत बड़ी संख्या में तकनीकी शिक्षा देने वाली संस्थाएं काम कर रही हैं।

हालांकि हम अपने देश की अंदरूनी तरक्की करने में लगे रहे फिर भी हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उद्देश्यपूर्ण दिलचस्पी ली और हम संसार की शांति की अहमियत पर हमेशा जोर देते रहे। कुछ मौकों पर तो हमारे हिस्सा लेने से बड़ा फर्क पड़ा और उसके कारण शांति के काम को बढ़ावा मिला। हमें आशा थी कि न केवल संसार में शांति सुनिश्चित होती जायेगी बल्कि हम भी अपने पड़ोसियों के साथ अमन से रह सकेंगे, और अगर कोई मसले उठ खड़े होंगे तो वे शांतिपूर्ण तरीकों से हल कर लिये जायेंगे। हमने पाकिस्तान के साथ अपने कुछ अहम मसले तो सुलझा लिये हैं लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे कुछ ऐसे मसले हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। हम उन्हें भी शांति से हल करना चाहते हैं ताकि भारत और पाकिस्तान अपने समान इतिहास, संस्कृति और परम्परा के मुताबिक आपस में दोस्ती और सहयोग की भावना वाले पड़ोसियों की तरह रह सकें।

कुछ वर्ष हुए चीन ने लद्दाख में चोरी-छिपे हमला शुरू कर दिया जिसके कारण बाद में दोनों देशों के बीच कुछ घटनाएं हुईं। इस मामले पर संसद में अक्सर बहस हुई है। हमें आशा थी कि हम इस प्रश्न को भी शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने में सफल हो जायेंगे। लेकिन पिछले आठ सितम्बर को नेफा में सीमा के पार एक नया हमला शुरू हुआ और टोह लगाने वाले कुछ हमलों के बाद चीन ने बीस अक्तूबर को भारत-चीन सीमा पर नेफा और लद्दाख दोनों इलाकों पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। नवम्बर के

मध्य में एक और ज़बरदस्त हमला हुआ और हमारे सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इस के बाद चीन की सरकार ने लड़ाईबन्दी करने और अपनी सेनाएं हटा लेने का इकतरफा आदेश दे दिया।

हमारे इलाके पर इन बड़े हमलों का और लगातार जोर ज़बरदस्ती का हमारी जनता पर बड़ा असर पड़ा और इसका नतीजा यह हुआ कि देश भर में तुरन्त एकता की लहर दौड़ गई। राष्ट्र की अखण्डता और स्वतंत्रता के खतरे की इस घड़ी में छोटे-मोटे सभी अन्दरूनी भेदभाव दब गये और रुक गये। नवम्बर के महीने में हमारी संसद ने राष्ट्र का इस मामले में नेतृत्व किया और समूचे भारत में हमारी जनता ने इस नेतृत्व का दिल से अनुसरण किया।

भारत की अखण्डता पर किसी के भी हमले से हमें दु:ख होता, लेकिन एक ऐसे देश का आक्रमण, जिसके साथ हमने दोस्ती रखने की कोशिश की और जिसके पक्ष का समर्थन हमने अंतर्राष्ट्रीय कौंसिलों में किया, हमारे साथ बड़ा भारी धोखा था और इससे हमारे लोगों को बहुत धक्का पहुंचा। ज़ाहिर है, ऐसी परिस्थितियों में हमारे देश का पहला कर्तव्य यह था कि वह इस हमले का मज़बूती से मुकाबला करे और उसके लिये अपने आपको तैयार करे।

आजकल कोई लड़ाई नहीं हो रही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों के अनुभव से हम खबरदार और मज़बूत हुए हैं और हमने यह पक्का इरादा किया है कि हम इस संकट से अपना बचाव करेंगे और अपनी रक्षा व्यवस्था तथा आर्थिक ढांचे को पूरी कोशिश से मजबूत बनायेंगे। हमारी सरकार इस जरूरी और अहम काम में लगी हुई है।

चीनी हमले के बाद जल्दी ही हमारी सरकार ने संसार के देशों से हमदर्दी और हिमायत की अपील की। हम उन बहुत से देशों के आभारी हैं जिन्होंने हमारी हिमायत की और हमारे साथ हमदर्दी जाहिर की। इनमें से कई देशों ने तो वास्तविक तौर पर हमारी मदद की है और हम उनके प्रति आभारी हैं। खासतौर पर मैं संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटिड किंगडम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस संकट में तेजी से हमें सहायता दी।

श्रीलंका तथा गुटबंदी से अलग पांच अन्य राष्ट्रों की सरकारों ने जो प्रस्ताव रखे थे, उन पर संसद के पिछले इजलास में पूरी तरह बहस हुई। भारत और चीन के बीच जो बुनियादी झगड़ा है, उसके गुण-दोषों का तो इन प्रस्तावों में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उनमें ऐसा वातावरण तैयार करने के तरीके का सुझाव जरूर है, जिससे इन बुनियादी सवालों पर बातचीत हो सके। इन प्रस्तावों पर अच्छी तरह विचार करने और संसद की राय जान लेने के बाद हमारी सरकार ने, कोलम्बो राष्ट्रों के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखकर, इनके बारे में अपनी रजामंदी बिना किसी शर्त के भेज दी। चीन सरकार ने इन प्रस्तावों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है और हम अभी यह नहीं कह सकते कि आगे चल कर क्या होने वाला है। क्योंकि हमारा देश शांतिपूर्ण तरीकों

का कायल है, वह झगड़ों को हमेशा ही शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करता रहेगा, बशर्ते कि ऐसा करने से हमारी इज्जत और आजादी को आंच न आये। लेकिन चाहे कुछ भी हो, सैनिक शक्ति के बल पर न कोई हमसे अपनी बात मनवा सकता है और न हम मानेंगे ही।

हमारे सामने आज चीन के हमले की समस्या सबसे बड़ी है और इसको सामने रखकर ही हमें बाकी सब बातों पर विचार करना है। किसी भी देश की आज़ादी और इज्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है और अगर कोई देश इन्हें नहीं बचा सकता तो दूसरे मामलों की अहमियत नहीं रह जाती। इस तरह राष्ट्र के सभी काम इसी बुनियादी मसले पर केन्द्रित हैं। एक राष्ट्रीय रक्षा परिषद् बना ली गई है और एक राष्ट्रीय रक्षा कोष खोल दिया गया है। हमारे लोगों ने इसमें खुले दिन से धन दिया है। विभिन्न राज्यों में बहुत सी नागरिक परिषदें बना दी गई हैं और उनके काम में तालमेल रखने के लिए एक केन्द्रीय नागरिक परिषद् भी बना दी गई है।

हमारी हथियारबंद सेनाओं का विस्तार करने और आर्डनेंस फैक्टरियों तथा रक्षा के दूसरे कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाये गये हैं। इस दिशा में असैनिक कारखानों से भी सहायता ली जा रही है। इन फैक्टरियों में काम करने वाले सभी लोगों का अपनी सरकार की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने राष्ट्र के काम में तन-मन से योग दिया है। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो समूचे देश में खेतों, कारखानों और सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करते हैं। मातृभूमि पर संकट की घड़ी में इस महान देश के लोगों ने बड़ी लगन से जो योग दिया है उसे देखकर हमारे हौंसले बहुत बढ़े हैं।

एमरजेंसी का एलान हो जाने के बाद जल्दी ही मजदूरों और प्रबन्धकों की केन्द्रीय संस्थाओं ने उद्योगों में शांति बनाए रखने के लिए एक राय होकर प्रस्ताव पास कर दिया जिसका मकसद यह था कि कारखानों में झगड़े बिल्कुल खत्म कर दिए जायें, उत्पादन को बढ़ाया जाये और जहां तक हो सके लागत में कमी की जाए। इसका नतीजा यह हुआ है कि केन्द्र में, राज्यों में और बहुत से कारखानों में एमरजेंसी उत्पादन कमेटियां बना दी गई हैं।

चीनी हमले से हमारे ऊपर जो भारी बोझ पड़े और उसका मुकाबला करने के लिए जो कदम उठाये गए, उन सबको ध्यान में रखते हुए यह सवाल उठा कि कोई बड़ी तब्दीली किए बगैर हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना किस तरह पूरी की जा सकती है। इस मामले पर पूरी तरह से गौर करने के बाद हमारी सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि राष्ट्र को मज़बूत बनाने के लिए इस योजना के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरा करना ही होगा और इसलिए रक्षा की दृष्टि से भी इस पर अमल करना जरूरी है। आर्थिक विकास और उद्योगों की तरक्की ही हमारी रक्षा की तैयारी का आधार है। आर्थिक

विकास को रोकने या इसकी प्रगति धीमी करने का नतीजा यह होगा कि देश कमजोर हो जायेगा। इसलिए यह फैसला किया गया है कि हालात के मुताबिक इधर-उधर कुछ फेरबदल करके तीसरी पंचवर्षीय योजना पर अमल जारी रखा जाये, और हमारे उद्योगों का इस तरह पुनर्गठन किया जाये कि रक्षा की जरूरतों को पहला स्थान दिया जा सके। इस तरह खेती-बाड़ी, उद्योग, परिवहन, संचार, बिजली, तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में हमें भरसक कोशिश करते रहना है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि खेती-बाड़ी का आधार मज़बूत हो। रक्षा के लिए उद्योग ज़रूरी है और इसी तरह बिजली, परिवहन और तकनीकी शिक्षा को बढ़ाना भी।

खेती में अधिक पैदावार के कार्यक्रम से पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चावल की प्रति एकड़ पैदावार में पन्द्रह से इक्कीस प्रतिशत, गेहूं की आठ से पन्द्रह प्रतिशत और जौ की ग्यारह से पच्चीस प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन में बराबर वृद्धि हुई है और 1962 के पहले नौ महीनों में कोई साढ़े सात प्रतिशत अधिक उत्पादन होने का अनुमान है। लोहे और इस्पात का उत्पादन बराबर बढ़ रहा है। पब्लिक सेक्टर में इस्पात के कारखानों का विस्तार करने की दिशा में और दुर्गापुर में अलॉय स्टील कारखाना लगाने की दिशा में कदम उठाये गये हैं। खनिज और तेल साधनों के विकास कार्य में और तरक्की हुई है। कोयले का उत्पादन बराबर बढ़ रहा है और यह आशा की जाती है कि हमने इस वर्ष में छः करोड़ दस लाख (मीट्रिक) टन कोयला निकालने का जो लक्ष्य रखा है वह पूरा हो जायेगा।

दिसम्बर, 1962 में भारतीय व्यापारी जहाज़ी बेड़े का टनभार दस लाख ग्रास रजिस्टर्ड टन तक पहुंच गया। 1966 तक साढ़े पांच लाख ग्रास रजिस्टर्ड टन का अतिरिक्त भार प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है, वह योजना काल समाप्त होने से तीन वर्ष पहले ही पूरा हो जायेगा, ऐसी आशा है। दो लाख टन तो पहले प्राप्त कर लिया गया है और दो लाख टन से ज्यादा और लेने के पक्के आर्डर दे दिये गए हैं।

खर्च में कमी करना, चीज़ों को ज़ाया न होने देना, अपने सीमित साधनों को बचाए रखना और संभाल कर उनका इस्तेमाल करना—हमेशा ही जरूरी होता है, लेकिन आज इसकी खास अहमियत है। लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिएं और कीमतों को बढ़ने से रोकना चाहिये। हमारे देशवासियों में एकता और डिसिप्लिन की इतनी अच्छी भावना जगी कि एमरजेंसी का ऐलान होते ही अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की जरूरत सभी ने फौरन मान ली। थोक भावों का मौजूदा स्तर उससे ऊंचा नहीं है, जो तीसरी योजना के शुरू में था। भारत में चोरी-छिपे सोना लाने से हमारी विदेशी मुद्रा के साधनों पर जो भार पड़ता है, उसे रोकने के लिए सोने पर नियंत्रण रखने के मकसद से कुछ नियम बनाये गये हैं।

एटमी शक्ति विकसित करने के हमारे कार्यक्रम में तेजी से तरक्की हुई है। बिहार में यूरेनियम की एक खान खोदी जा रही है तथा एक यूरेनियम मिल बनाई जा रही है।

पहला एटमी बिजलीघर तारापुर में; दूसरा राजस्थान में, राणा प्रताप सागर में; और तीसरा मद्रास राज्य में पूर्वी तट पर कलपक्कम में बनाया जायेगा और जांच करने पर यह मालूम हुआ है कि तारापुर में बिजलीघर में बिजली पैदा करने पर जो लागत आयेगी, वह उससे कम होगी जो इसी जगह इतने ही बड़े किन्तु कोयले से बिजली पैदा करने वाले बिजलीघर में आयेगी। एटमी शक्ति से चलाये जाने वाले इन बिजलीघरों से हमारी रेल और परिवहन व्यवस्था का भार भी कम हो जायेगा।

अब लगभग सारे देश में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं और पंचायती राज भी नौ राज्यों में लागू हो गया है। एमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय रक्षा को दी गई चुनौती का सामना करने के लिए ग्रामीण भारत के एक साथ काम में जुटाने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रत्येक पंचायत में ग्राम स्वयंसेवक दल बनाये जायेंगे और इनके तीन काम होंगे—उत्पादन, सामूहिक शिक्षा और ग्राम रक्षा। इस योजना का एक जरूरी अंग है एक रक्षा श्रम बैंक, जिसके लिए महीने में हर बालिग कम से कम एक दिन मुफ्त काम करेगा। देहाती इलाकों में सहकारी आंदोलन ने काफी तरक्की की है। बुनियादी कृषि कर्ज देने वाली सोसाइटियों की सदस्य संख्या इस समय दो करोड़ है और आशा है कि 1963 में वह दो करोड़ चालीस लाख और अगले वर्ष तक दो करोड़ अस्सी लाख हो जायेगी। अब तक एक हजार से ज्यादा सहकारी खेती समितियां बनाई जा चुकी हैं।

आपको यह सूचना देते हुए मुझे खुशी होती है कि फ्रांस सरकार ने पूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के बारे में विसर्जन संधि को पक्का कर दिया है। इस कार्रवाई से इन बस्तियों को कानूनी रूप से भारत को सौंप देने का काम पूरा हो गया है।

नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध बदस्तूर मित्रतापूर्ण हैं। भारत ने आर्थिक और तकनीकी—इन दोनों ही क्षेत्रों में नेपाल को जो सहायता दी है उसके संतोषजनक नतीजे निकले हैं। भारत ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान नेपाल को अठारह करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का वायदा किया है। यह सहायता कोसी और गंडक प्रोजेक्टरों के अलावा है जिनसे भारत और नेपाल दोनों को ही लाभ होगा।

भारत ने भूटान और सिक्किम को भी, उनके आर्थिक विकास के लिए काफी मदद दी है। भारत ने भूटान को कोलम्बो योजना का मेम्बर बनाने का प्रस्ताव किया और भूटान ने नवम्बर, 1962 में मेलबोर्न में कोलम्बो योजना सलाहकार समिति में भाग लिया।

भारत सरकार ने अल्जीरिया, बुरुण्डी, जमैका, रुआण्डा, ट्रिनिदाद, टोबागो और युगांडा की आजादी का स्वागत किया है और वे संयुक्त राष्ट्र के मेम्बर बना लिए गए हैं। हम इन नए आजाद देशों की सफलता की कामना करते हैं। जल्दी ही न्यासालैंड में भी उसकी अपनी सरकार बन जायेगी।

कांगो में संयुक्त राष्ट्र के अधीन काम करते हुए हमारे सैनिकों ने वहां के कठिन मसलों को सुलझाने में बड़ी मदद दी है। हमारे सैनिक तब तक वहां रहेंगे जब तक संयुक्त राष्ट्र ऐसी हालत में नहीं हो जाता कि अपने शांतिपूर्ण प्रयत्नों में बिना किसी प्रकार की बाधा के उन्हें वहां से लौटने की अनुमति दे सके।

पिछले वर्ष बहुत से देशों के राज्याध्यक्ष तथा प्रधान मंत्री और दूसरे नेता हमारे यहां सद्भाव यात्रा पर आये और हमने उनका स्वागत किया। इन अतिथियों में थे: नेपाल के महाराजाधिराज और महारानी; मेक्सिको के राष्ट्रपति, श्री लोपेज मातिओस; रुमानिया लोक गणराज्य के राष्ट्रपति, श्री ग्येर्ग्ये ग्येर्ग्यू देज; साइप्रस के राष्ट्रपति, श्री मकारिओस; जर्मन संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति, डॉ. हेनरिख लुम्के; कम्बोडिया के राजकुलमान्य राजकुमार नरोदम सिंहनुक; यूनान के महामहिम महाराज और महारानी; सिंगापुर के प्रधान मंत्री, श्री ली क्वान इयू; मलय के प्रधान मंत्री, श्री तुंकु अब्दुल रहमान; यूगोस्लाविया के उप-राष्ट्रपति, श्री ऐडवर्ड कार्देत्ज और लेबनान के प्रधान मंत्री, डॉक्टर रशीद करामे।

इस समय जबकि हमारी सारी कोशिशें अहम मसलों का सामना करने पर और रक्षा तथा आर्थिक विकास के लिए अपनी जनशक्ति और साधनों को जुटाने पर लगी हुई हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय हालात में जो थोड़ा-सा सुधार हुआ है, उसका स्वागत करते हैं। क्यूबा एक ऐसी मिसाल रहा जिसके कारण समूचा संसार एटमी जंग के किनारे पर जा खड़ा हुआ था, लेकिन दो बड़े राष्ट्रों के सद्भाव और संयम के कारण यह जंग टल गई। तनाव खत्म होने के कुछ आसार दिखाई दिए हैं और एटमी हथियारों पर रोक लगाने के बारे में समझौता हो जाने की भी उम्मीद हो गई है।

भारत सरकार के 1963-64 के माली साल की आमदनी और खर्च के अंदाजे का ब्यौरा आपके सामने रखा जाएगा।

आपके सामने विचार के लिए जो बिल रखे जायेंगे उनमें से ये भी हैं:

1. संघीय प्रदेश पांडिचेरी, कराइकल, माहे और यनाम के लिए संसद में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने का एक बिल।
2. संघीय प्रदेश बिल।
3. गंदी बस्ती (सुधार और सफाई) संशोधन बिल।
4. भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) बिल।
5. उद्योग-विवाद (संशोधन) बिल।
6. फैक्ट्री (संशोधन) बिल।

7. बिजली सप्लाई (संशोधन) बिल।

8. दिल्ली विकास (संशोधन) बिल।

माननीय संसद सदस्यगण, देश के इतिहास की एक बहुत नाजुक घड़ी में हम यहां इकट्ठे हुए हैं। ऐसी हालत में, जबकि हमने लोकतंत्रीय समाजवादी समाज का निर्माण करने का वचन लिया है, जिसमें शांतिपूर्ण तरीकों और रजामंदी से तरक्की की जाती है, हमें विदेशी हमले के खतरे का भी सामना करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह संसद जो हमारी नीति और राष्ट्र की रहनुमाई के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, इन बड़े कामों को हौंसले और समझदारी से तथा बर्दाश्त और सहयोग की भावना से पूरा करेगी। मैं चाहता हूं कि आपकी कोशिशें सफल हों, जिससे हमारी जनता और दुनिया का भला हो। उठो, जागो जो अवसर आपको प्राप्त है उनको समझो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक मत रुको।

"उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधत"।